

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136
अनुदान श्री..... गोपीबार्द पिता/पति..... गोकल

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुदान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी..... गोपीबार्द
पिता..... गोकल नि..... पिक्की का/के/ हूँ/हैं।

मेरे/हमारे प.ह. पिक्की के राजस्व ग्राम..... जे.पुरा में खाता संख्या.....
18..... किता 02..... रकबा 1-34 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें

मेरी/हमारी जाति/नाम..... गोपीबार्द दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप
में..... गोपीबार्द दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम..... गोपीबार्द के बजाय..... गोपीबार्द दर्ज
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक..... 26/9/25.....

हस्ताक्षर

प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का..... पिक्की

महोदयजी

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री..... गोपीबार्द पिता..... गोकल

नि..... पिक्की राजस्व ग्राम..... जे.पुरा प.ह. पिक्की की जमाबन्दी

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में..... गोपीबार्द दर्ज करवाना

चाहता है/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के

है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना

उचित है।

दिनांक 26/9/25

हस्ताक्षर पटवारी
पटवारी पिक्की

हस्ताक्षर भू.अ.नि.
26/9/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 20

क्रमांक:-भू.अ./20 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गोपी नाई पिता गोकुल पि.
पह. चिकसी के राजस्व ग्राम जेलपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-2081
की खाता संख्या 18 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम गोपी नाई किये जान की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम गोपी नाई का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/716

दिनांक:-26/9/2025

निमित्त,

पटवार हल्का चिकसी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री गोपी नाई पिता गोकुल
राजस्व ग्राम जेलपुरा पह. चिकसी की खाता संख्या 18 में
जाति/नाम गोपी नाई दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जाति व
पहचान पह व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री गोपी नाई पिता गोकुल
जाति/नाम गोपी नाई एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित कर
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। पह. चिकसी राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

GLMS: 2025/675



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जेतपुरा
पटवार हल्का :- चिकसी
भू.अभि.नि. :- शम्भूपुरा
तहसील :- चित्तौड़गढ़
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 18
खाता संख्या पुराना :- 7

काश्तकार का नाम:-

1. गोगीबाई पुत्री गोकल हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
2. जमनाबाई पत्नि स्व. रूपा हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
3. टम्मूबाई पत्नि स्व. रूपा हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
4. नाबालिग देवकन्या पुत्री रूपा सरंक्षक सरपरस्त माताजमनाबाई हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
5. धापुबाई पुत्री गोकल हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
6. प्रभुलाल पुत्र गोकल हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
7. नाबालिग मोहनी पुत्री रूपा सरंक्षक सरपरस्त माताजमनाबाई हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
8. रुकमणीबाई पुत्री गोकल हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
9. वरदीबाई पुत्री गोकल हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार
10. नाबालिग सीता पुत्री रूपा सरंक्षक सरपरस्त माताजमनाबाई हिस्सा- 1/10 जाति- गाडरी सा. चिकसी खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
215	0.8600	माल 2	0.8600	4.30		
216	1.0800	बंजड़	1.0800	1.08		
कुल खसरे - 2	1.9400		1.9400	5.3800		

स्वीकृत नामान्तरकरण : 169 05/07/2022 विरासत

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 25-Sep-2025

NIC

